हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 जनवरी, 2014

संख्या वैब 2 /ह0 अ0 6/2003/धा0 60/2014 . — हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित संशोधन प्रारुप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है ।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट कॉम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी ।

संशोधन प्रारूप

1. (1) ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2014, कहे जा सकते हैं ।

(2) ये नियम जनवरी, 2014 के प्रथम दिन से लागु हुए समझे जायेंगे।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में, नियम 54 में, उप–नियम (1) में, "तीन सौ रुपए" शब्दो के स्थान पर, "एक हजार रुपए" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

हरदीप कुमार
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।